4060/05 ✓ ① ⑧

Rs 25000 Rs 25000 Rs 25000 Rs 25000 Rs 2500

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

25000

25000 25000

Rs 25000 Rs 25000 Rs 25000 Rs 25000

(550)

7 SEP 2005

04DD 064907

-: जैविम :-

किस्म दस्तावेज - बैनामा ।

विक्रीत कीमत - 3,00,000/- रुपया ।

स्टाम्प मालियती - 6,92,000/- रुपये ।

स्टाम्प - 69,200/- रुपये ।

सर्किल रेट - 2,000/- रुपया प्रति वर्गमीटर । चूंकि विक्रीत भूखण्ड मुख्य मार्ग से 500 मीटर से भी अधिक की दूरी पर स्थित है तथा विक्रीत भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो रहा है और जो कॉर्नर व पार्क के सामने का नहीं है ।

विक्रेता:- मोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री कारे व श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री जगन सिंह स्वयं व बहैसियत वली व संरक्षिका नाबालिगान सत्यवीर सिंह आयु करीब 12 साल व देवेश आयु करीब 7 साल व अंकेश आयु करीब 4 साल

[signatures]

सहकारी आवास समिति लि0
आगरा

कुल भवन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा द्वारा सचिव राजीव कुमार तिवारी

150000
300000
60000

(S. P. Singh)
Cashier

विलेख दस्तावेज

फीस ... योग

श्री ...

पेशा ...

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में ... बजे निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक, प्रथम
आगरा

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि 300000/- रु० ... पूर्ण प्रतिफल ... स्वीकार किया।

पहचानकर्ता श्री ...
पुत्र श्री ...
निवासी ...
व श्री ...
पुत्र श्री ...
निवासी ...
ने की।

उप निबन्धक, प्रथम
आगरा

उप निबन्धक, प्रथम
आगरा

Rs 25000 Rs 25000 Rs 25000 Rs 25000 Rs 2500

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000

25000

Rs 25000 Rs 25000 Rs 25000 Rs 25000

04DD 064908

- 7 SEP 2005

कोषाधिकारी, आगरा

समर्पित निवासी ग्राम मऊ तहसील व जिला आगरा ।

क्रेता:- पावन सहकारी आवास समिति लि० आगरा निबन्धन संख्या 3132 दिनांक 7-6-2003 द्वारा सचिव श्री जयदीप कुमार तिवारी पुत्र श्री अनोखे लाल निवासी 23, विनायक विहार ककरैठा तहसील व जिला आगरा ।

जो कि एककिता भूखण्ड तादादी 345.63 वर्गमीटर ।तीन हिस्सा। मिनजुमला खसरा नम्बर 387 वाके मौजा मऊ मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा पैमाइशी 18.897 वार्ड 18.29 मीटर कि जो साथ लगे नक्शे में रंग लाल से दर्शाया गया है कि [redacted] जो उक्त आराजी का मय अन्य आराजी के एक हिस्सा है जिसके लिये विक्रेता द्वारा अलग से कोई रास्ता नहीं दिया गया है । क्रेता स्वयं इस भूखण्ड में से या अपनी अन्य जमीन में से जहाँ से भी सम्भव हो सकेगा, अपनी जिम्मेदारी पर निकास बनायेगा कि जो उक्त खसरा नम्बर का एक अविभाजित हिस्सा है कि जिसकी हम विक्रेतागण बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज व

नि० उदुस्य देवी

मोहनसिंह

(जयदीप कुमार तिवारी)
सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

223

- 3 -

दखील चले आते हैं और हमारा नाम कागजात सरकारी देहा में दर्ज चला आता है इस प्रकार हम विक्रेतागण के अलावा आराजी/भूखण्ड विक्रीत कुल रकबा तीन बिस्वा यानी 345-63 वर्गमीटर में अन्य कोई साझी व हिस्सेदार किसी प्रकार का नहीं है किसी माने किसी प्रकार के इन्तकाल वगैरा का होवे और जो आज तक हर प्रकार के दावे व झगड़े व रहन व बै व हिबे व मुआहिदा बै व कर्जे व बार व चार्ज व इन्तकाल व एक्यूजीशन व एक्यूटेबिल मोरगेज व जमानत व कुर्की व नालिश व नीलाम व समस्त प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों आदि से कतई मुबर्रा पाक व साफ है कि जिसका विक्रय करना वास्ते जरूरत खुद व मिलने माकूल सर्वाधिक कीमत के स्वीकार है कि जिसमें सरासर फायदा है।

लिहाजा हम विक्रेतागण अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिला बहकाये व सिखाये व बिला दबाव किसी नाजायज के स्वस्थचित्त मन बुद्धि व इन्द्रिय के स्वयं व बहैसियत संरक्षिका वली

(अश्वनी कुमार तिवारी)
सचिव
... सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

5000 Rs.

भारत INDIA

५000 रु.

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

व सरपरस्त माता हकीकी नाबालिगान उक्त की ओर से समस्त जिम्मेदारी लेते हुये आराजी रकबई तीन बिस्वा उक्त को मय गुडटाइटिल के बएवज मुबलिग 3,00,000/- तीन लाख रुपया कि आधे जिसके मुबलिग 1,50,000/- एक लाख पचास हजार रुपया होते हैं बदस्त - पावन सहकारी आवास समिति लि० आगरा निबन्धन संख्या 3132 दिनांक 7-6-2003 द्वारा सचिव श्री जयदीप कुमार तिवारी पुत्र श्री अनोखे लाल निवासी 23, विनायक विहार ककरैठा तहसील व जिला आगरा क्रेता उक्त समिति को पूर्ण आधिपत्य व स्वामित्व सहित विक्रय कतई किया और बेच दिया और कीमत का कुल धन मुबलिग 3,00,000/- तीन लाख रुपया मुझ विक्रेता ने

(जयदीप कुमार तिवारी)
सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

225

5000Rs.

५०००रु.   Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये   FIVE THOUSAND RUPEES

- 5 -

क्रेता उक्त समिति से पहले ही वसूल पा लिया है । इस प्रकार अब हम विक्रेतागणों का क्रेता उक्त समिति से कीमत में कुछ भी पाना बाकी नहीं रहा है और न आयंदा होगा ।

सचिव
पावन सहकारी ... समिति लि.

1000Rs.

ONE THOUSAND RUPEES

लिहाजा कब्जा व दखल भूखण्ड विक्रीत कुल पर हम विक्रेतागणों ने बहैसियत पूर्णरूपेण स्वामी के क्रेता उक्त समिति का करा दिया और कतई मालिक मुस्तकिल काबिज व दखील बना दिया । अब आज से क्रेता उक्त समिति को पूर्ण अधिकार है कि वह भूखण्ड विक्रीत कुल से बहैसियत पूर्णरूपेण स्वामी के चाहें जिस प्रकार से लाभान्वित होवें या रहन व बै व हिबे व विक्रय आदि आदि जो चाहें सो करें तथा अपने नाम का नामांकन सम्बन्धित विभाग में जरिये बैनामा हाजा दर्ज करालें कुछ उजर न होगा ।

सचिव
[illegible] सहकारी आ. वास समिति लि०
[illegible]

1000 Rs.

ONE THOUSAND RUPEES

-5 SEP 2005

- 7 -

अगर सानीउलहाल कोई वारिस या दावेदार कौमी या खांदानी कानूनी या वाकयाती या दीगर कोई किफालतदार किसी तरह का पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा क्रेता उक्त समिति से करे या उसके स्वामित्व अधिकारों व कब्जे में बाधा डाले या किसी दीगर वजह से कब्जा जुज या कुल क्रेता उक्त समिति से निकल जावे या नागाह दाखिला में कोई कानूनी कमी पाई जावे तो ऐसी तमाम सूरतों में हरकुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी तनहा हम विक्रेतागणों की व वारिसान व कायममुकामानहमारों की है और होगी इसमें कुछ उजर न होगा । उस

सचिव
सहकारी आवास समिति लि०
कानपुर

1000Rs.

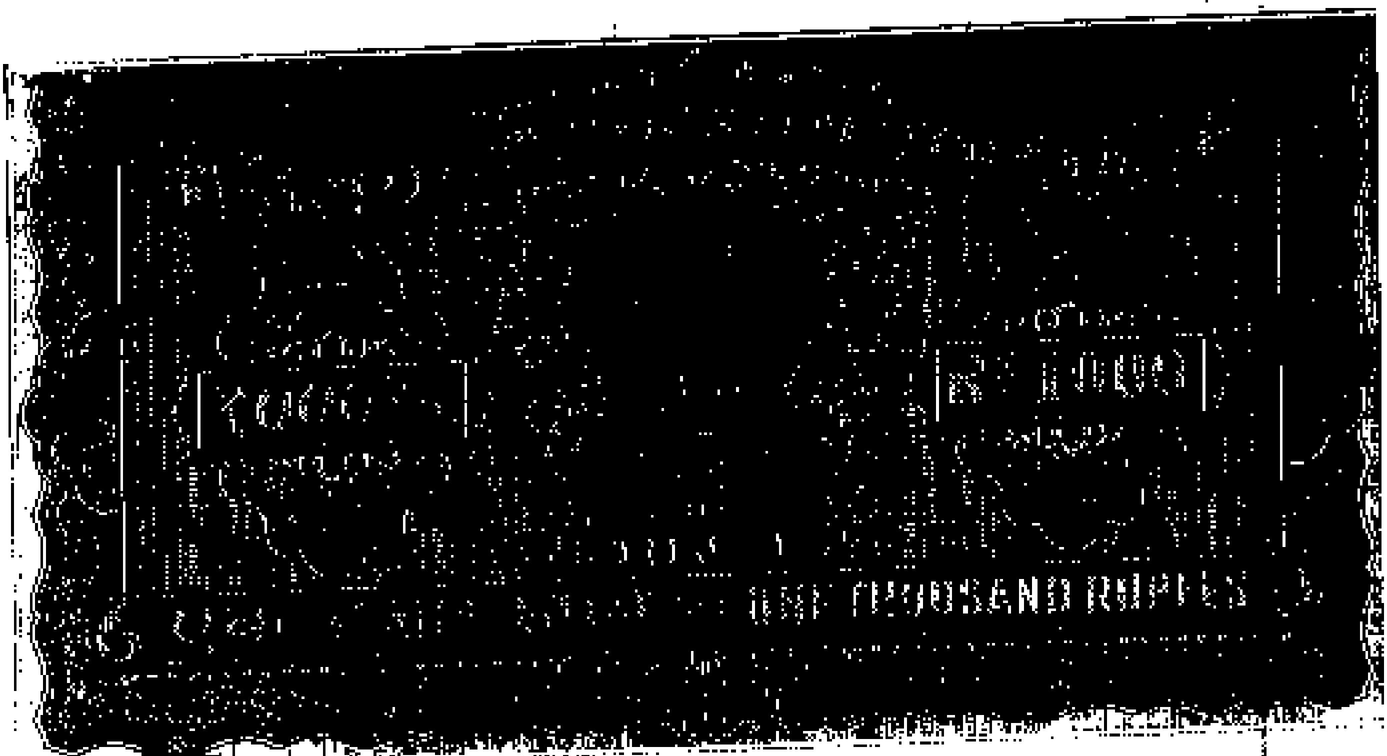

समस्त क्रेता उक्त समिति को हक व अधिकार होगा कि वह कुल और समन अपना मय सूद हरजा व खर्चा आदि सहित हम विक्रेतागणों की जात माल जायदाद मनकूला व गैरमनकूला हर किस्म से चाहे जिस प्रकार से वसूल करलें कुछ उजर न होगा।

भूखण्ड विक्रीत की जमीन नजूल व राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है जिसको किसी वाद में अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित नहीं किया गया है जिसकी बाबत हम विक्रेतागणों ने किसी प्रकार का कोई मुआवजा आदि प्राप्त नहीं किया है।

सचिव
[illegible] सहकारी आवास समिति लि०
[illegible]

10,00 Rs.

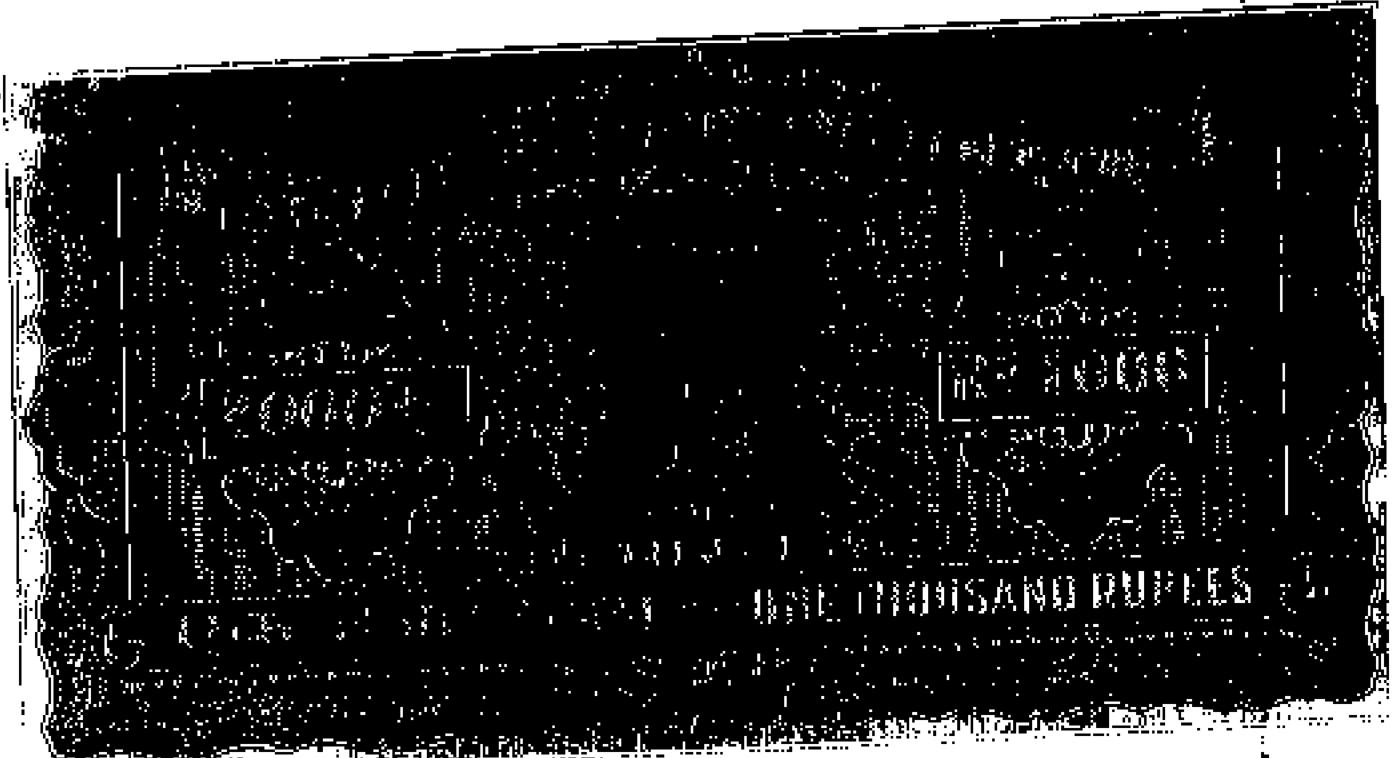

- 9 -

महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 के आदेशानुसार भारतीय स्टाम्प अधि0 की धारा 27 ।। लेखपत्र में यह घोषित करता हूँ कि ऐसे सभी तथ्य एवं परिस्थितियाँ जो स्टाम्पदेयता को प्रभावित कर सकते हैं पूर्णतया सत्यतापूर्वक अंकित कर दिये गये हैं ।

नोट - पर्त 2 की सतर 8 में शब्द "कि" व "जो" के बीच की इबारत टाईप से कटी है जो स्वीकार है ।

सचिव

100 Rs.

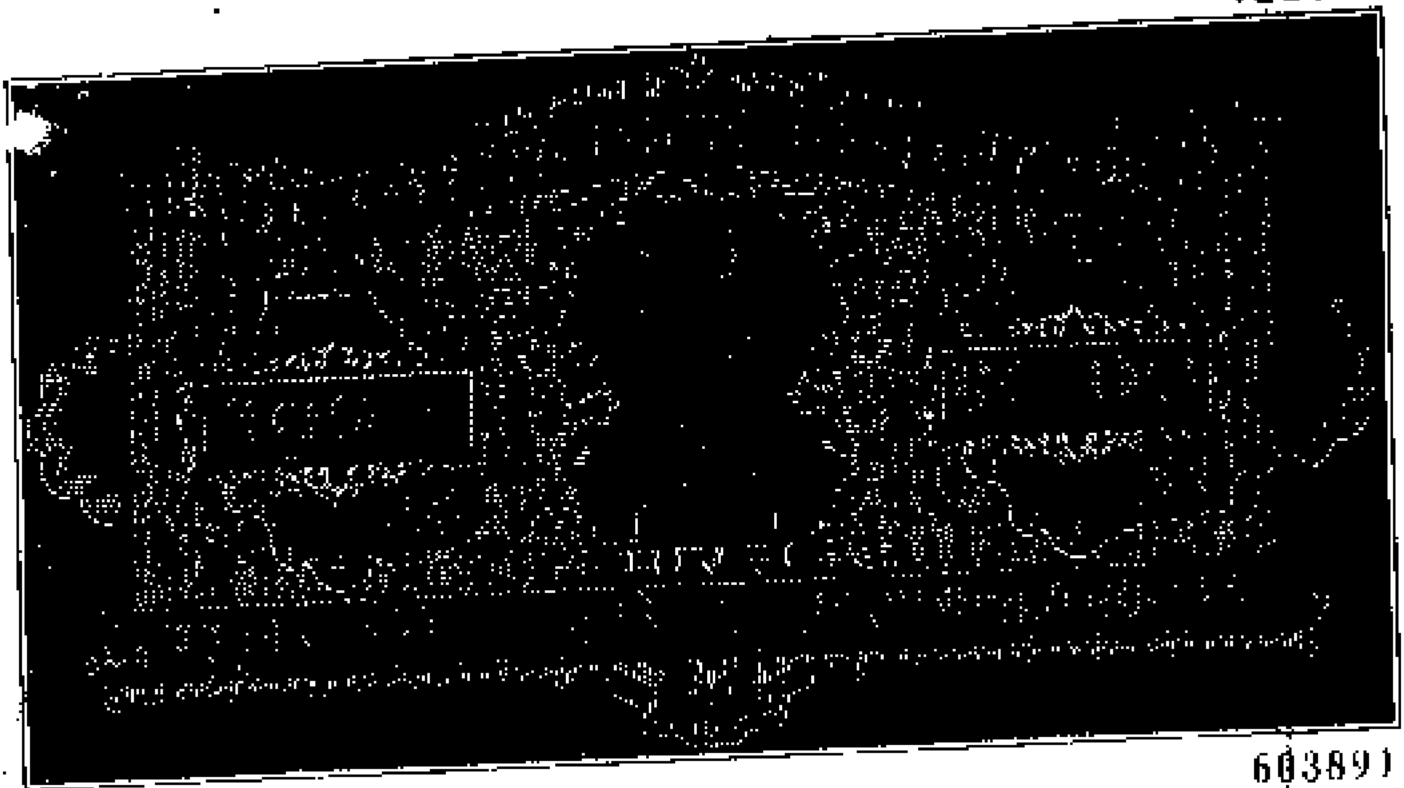

603891

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे । तहरीर तारीख 8-9-2005 ई० मसौदा सुरेश चन्द्र अग्रवाल दस्तावेज लेखक निवासी 35/141, नौबस्ता लोहामण्डी आगरा व टाईपकर्ता

सचिव
[illegible] सहकारी आवास समिति लि०
[illegible]

100Rs.

603892

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वीरेश कुमार गोयल सदर तहसील आगरा । दस्तावेज हाजा पक्षकारानों के निर्देशानुसार तहरीर व तकमील कर टंकण किया गया ।

रामवीर सिंह   मि॰ आ॰ पुष्पा देवी   आदीश कुमार तिवारी

गवाह- रामवीर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह
नि॰ ग्राम मऊ, जिला आगरा
रामवीर सिंह

गवाह- चौधरी अजय सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह
नि॰ ग्राम मऊ जिला आगरा

गवाह- संजय सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह
नि॰ ग्राम मऊ जिला आगरा
संजय सिंह

[illegible] [illegible] सदर तहसील आगरा
[illegible] 500/-

5266
9-9-05

स्टाम्प विक्रय की तिथि .... [illegible]
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता .... [illegible] 5261
....
स्टाम्प की धनराशि .... [illegible]

[illegible signature]

जसवीर सिंह
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-8
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 200
मवाद तहसील परिसर, मावना

6

आज दिनांक 9-9-05 को बही
सं० I जिल्द सं० 5336 के
पृष्ठ 229/232 पर क्रम सं० 4068
पर रजिस्ट्री की गई।

उप निबन्धक (प्रथम)
मावना

SITE PLAN OF LAND ON KHASRA NO 287 AT MAUZA MAU MUSTQIL AGRA

SELLER: MOHAN SINGH & SMT PUSHPA RANI SELF & GUARDIAN OF MINOR SATTA VIR SINGH, MINOR AGRESH, MINOR AVDHESH

PURCHASER: PAAWAN SAHKARI AVAS SAMITI LTD AGRA

AREA 345.63 SQM

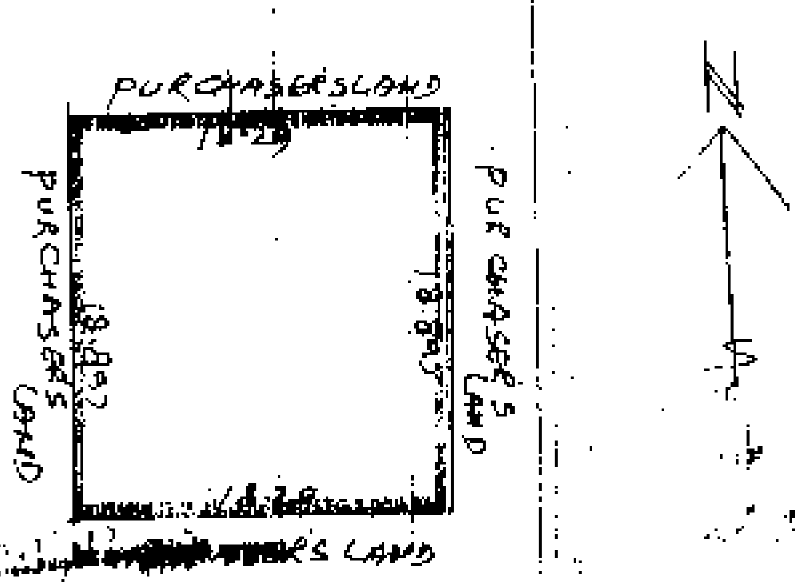

(सचिव)

सचिव

पावन सहकारी आवास समिति लि0

आगरा

TRACED BY

Dinesh Chandra Agrawal

DRAFT MAN

NAUBASTA AGRA